धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या 42/2021(GCMS: 2021/1391) राज्य सरकार जरिये राकेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी, कार्यालय जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर बनाम 1. इन्द्रजीत पुत्र सुभाष चन्द्र जाति बिश्नोई, उम्र 24 वर्ष निवासी आसींगा थाना भूना जिला फतेहाबाद (हरियाणा) 2. जितेन्द्र कुमार पुत्र सांवरमल जाति जाट उम्र 27 वर्ष निवासी गांव बानुनी थाना नेच्छवा सीकर (राजस्थान) 3. मुरलीधर पुत्र भगवानाराम जाति सिंधी उम्र 50 वर्ष निवासी मुरलीधर आटा चक्की, जैतसर पुलिया के पास, पदमपुर जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) 4. हरदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति रामगढ़िया सिख उम्र 45 वर्ष निवासी वार्ड नं. 5, पदमपुर, श्रीगंगानगर (राज.) 5. तारबाबु सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जाति रामगढ़िया आयु 30 वर्ष निवासी वार्ड नं. 5, पदमपुर श्रीगंगानगर

22.04.2022

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी इन्द्रजीत एवं जितेन्द्र कुमार के अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह, अप्रार्थी मुरलीधर, हरदीप सिंह, तारबाबु सिंह के अधिवक्ता श्री राकेश मिढा, यूनियन ऑफ इण्डिया के अधिवक्ता श्री गौरीशंकर गुप्ता एवं विभागीय प्रतिनिधि के रूप में श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्रीगंगानगर उपस्थित हुए। समस्त अधिवक्तागण एवं विभागीय प्रतिनिधि की बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। मैनें उपभयपक्ष की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि **थानाधिकारी, पुलिस थाना (सदर) श्रीगंगानगर** ने जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर के कार्यालय में दिनांक 21.08.2021 को धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि दिनांक 18.08.2021 को वक्त 6:40 पीएम पर मुखबिर की सूचना पर पत्रकार कॉलोनी में मुरलीधर के नोहरा में मुरलीधर व हरदीप सिंह **जो ग्रीफ का सरकारी डीजल उनके कर्मचारियों इन्द्रजीत व जितेन्द्र कुमार से अवैध तौर पर खरीद रहे है** जिनको अभी काबू किया जाये तो डीजल व बिक्री राशि बरामद हो सकती है। इस पर अरविन्द कुमार, पुलिस उप अधीक्षक, जवाहर नगर ... मय डीआर प्रकाश सिंह व गनमेन राममूर्ति कानि, 610 तस्दीक हेतु रवाना हुये व श्री हनुमान राम पु.नि. थानधिकारी, पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर को मय जाब्ता भागसिंह हैड कानि 2395, कैलाश कानि, 1845 भरतलाल कानि, 1013 व मोबाईल जाब्ता के रामजीलाल सउनि, झाबरमल हैडकानि 2025

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

गुलाबा कानि 1521 मय डीआर लक्ष्मण 1505 को साथ लिया गया। मौके पर रवाना वक्त 7:30 पीएम पर पत्रकार कॉलोनी में नोहरा मुरलीधर पर पहुंचे। नोहरा मुरलीधर के मैन गेट पर अशोक लीलेण्ड का ट्रक डम्फर बरंग नीला खडा मिला जिसके आगे नम्बर 49 13ई 72062 141 अंकित थे। नोहरा में अन्दर प्रवेश कर देखा तो चार शख्स जिसमें से दो शख्स डम्पर से ड्रम उतारकर उसके पीछे खड़े ट्रेक्टर ट्राली में डाल रहे है व दो शख्स ट्राली में ड्रम उतरवा रहे है। उक्त चार व्यक्ति इन्द्रजीत सिंह पुत्र सुभाष चन्द्र, जितेन्द्र कुमार पुत्र सांवरमल, मुरलीधर पुत्र भगवानदास एवं हरदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह होना बताया। मौके पर डम्फर को चैक किया तो उसमें **8 ड्रम प्लास्टिक(7 नीले व एक काले रंग का) देखने में इनकी क्षमता करीब 200 लीटर थी तथा 01 जरीकन करीब 30 लीटर क्षमता का रखा हुआ था। ट्राली में 2 ड्रम प्लास्टिक नीले रंग के करीब 200 लीटर क्षमता के पड़े थे।** उक्त व्यक्तियों से इन ड्रमों में क्या है बाबत पूछा तो सभी ने उक्त ड्रमों में डीजल होना बताया। इस पर आरपीएस व हमराही जाब्ता द्वारा उक्त सभी 10 ड्रमों के ढक्कन को खोलकर इनमें भरे तरल पदार्थ को देखा व सूंघा तो सभी में डीजल होना बताया। इस पर चारों व्यक्तियों से डीजल बाबत पूछा तो शख्स इन्द्रजीत व जितेन्द्र कुमार ने बताया कि उक्त डीजल हम **साधुवाली केन्ट से संतोष भारद्वाज आई/सी ई–4, जेई/(ई एण्ड एम) युनिट 141 डीएमसी (ग्रीफ) से प्राप्त कर आगे फाजिल्का पंजाब यूनिट 854 डीएमपीएल (ग्रीफ) को देने की रसीद कटवाकर लाये है** जो डीजल हमें फाजिल्का पंजाब भिजवाना था किन्तु फाजिल्का पंजाब (ग्री[illegible] मो.नं. 9538594811 व विनोद कुमार मो.नं. 8445[illegible] को अवैध तौर पर बेच कर 1,30,000/– [illegible] अधिकारियों **लिंगा राजू व विनोद कुमार** को देने थे। इस पर दोनों ड[illegible]र लेकर गंगानगर में चोरी का डीजल 75 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 150000 रूपये नगद प्राप्त कर लिये और अबये 10 ड्रम डीजल के भरे हुए **हरदीप सिंह व मुरलीधर को सुपुर्द कर रहे थे।** 1,50,000/– रूपये

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

में से 10 हजार रूपये मैने (इन्द्रजीत ने) अपने कमीशन के रख लिये तथा 10 हजार रूपये जितेन्द्र कुमार ने रख लिये और 1,30,000/— रूपये जो लिंगाराजू व विनोद कुमार को देने थे वो जितेन्द्र कुमार ने अलग से रख लिये। मुताबिक खाना तलाशी व बरामदी उक्त शख्सान से इतनी भारी मात्रा में डीजल रखने/परिवहन/बेचान करने बाबत लाईसेंस /परमिट या अन्य दस्तावेज बाबत पूछा तो इन्द्रजीत ने दो प्रतियों में जारी कम्प्युटराईज रसीद (कनवे नोट) जो 141 डीएमसी ग्रीफ सी/ओ 56 एपीओ द्वारा जारी है जो कि 854 एएमपीएल (ग्रीफ) फाजिल्का के नाम से दिनांक 18.08.2021 की जारीशुदा है रसीद क्रमांक 25 अंकित है रसीद में दो आर्टिकल जिनमें से नम्बर 1 आईटम एचएसडी क्वांटिटी 2000 लीटरस तथा नम्बर 2 आईटम एमएस—87 क्वांटिटी 20 लीटरस अंकित है इस्युड बाई संतोष भारद्वाज युनिट 141 डीएमसी ग्रीफ, क्लेक्टड बाई इन्द्रजीत सिंह युनिट 854 डीएमपीएल (ग्रीफ) तथा रिसीवड बाई में यूनिट 854 डीएमपीएल (ग्रीफ) अंकित है इस्युड व कलेक्टड पर हस्ताक्षर किये हुए है परन्तु रिसीवड बाई पर नाम व हस्ताक्षर अंकित नहीं है उक्त रसीद दो प्रतियों में को बतौर दस्तावेजी साक्ष्य कब्जा पुलिस लिया। उक्त रसीद के अलावा उक्त डीजल के विक्रय एवं बेचान से संबंधित कोई वैद्य दस्तावेज इन्द्रजीव व जितेन्द्र के द्वारा अपने पास नहीं होना बताया। मुताबिक फर्द खाना तलाशी व बरादमी शख्सान उक्त को कारण गिरफ्तारी बाबत पृथक—2 चैक लिस्ट जारी की जाकर पहले शख्स इन्द्रजीत की जेब में से 10 हजार रूपये नगद व जितेन्द्र कुमार की जेब से 1,40,000/— रूपये नगद मिले जिसमें से 130[illegible]द कुमार के तथा 10 हजार रूपये स्वयं के [illegible] तीसरे शख्स मुरलीधर की जेब से 150[illegible]स हरदीप सिंह की जेब स2400/—'रूपये मिले इसके साथ उक्त सभी व्यक्तियों की जेब से मोबाईल फोन भी मिले। उक्त समस्त जब्तशुदा सामग्री 2000 लीटर अवैध डीजल से भरे 10 प्लास्टिक ड्रम व 20 लीटर पेट्रोलनुमा तरल पदार्थ भरा 01 प्लस्टिक का जरीकन व 1,50,000/— रूपये (एक लाख पचास हजार

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

रूपये) नगद बिक्री राशि, 01 ट्रेक्टर (जोनडियर) सं. आरजे–15 आरए–4222 मय ट्राली, 01 डम्फर ट्रक (अशोक लीलेन्ड) सं. 49–13इ–72062–141 व अन्य समस्त सामग्री को मालखाना पुलिस थाना(सदर), श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया गया है। पुलिस थाना (सदर), श्रीगंगानगर के पत्रांक 5515 दिनांक 21.08.2021 के अनुसार प्रकरण में इन्द्रजीत पुत्र सुभाष चन्द्र, जितेन्द्र कुमार पुत्र सांवरमल, मुरलीधर पुत्र भगवानदास एवं हरदीप सिह पुत्र गुरदेव सिंह के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व भादस की धारा 406,407,120 बी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट 274/18.08.2021 दर्ज की गई है।

इस प्रकार इन्द्रजीत पुत्र सुभाष चन्द्र, जितेन्द्र कुमार पुत्र सांवरमल, मुरलीधर पुत्र भगवानदास एवं हरदीप सिह पुत्र गुरदेव सिंह द्वारा यथा पैट्रोल व डीजल का अवैध खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण कर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा 2. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।** इसलिए उक्त जब्तशुदा **2000 लीटर डीजल से भरे 10 प्लास्टिक ड्रम व 20 लीटर पेट्रोलनुमा तरल पदार्थ भरा 01 प्लास्टिक का जरीकन व 1,50,000/–रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये) नकद बिक्री राशि, 01 ट्रेक्टर (जोनडियर) सं. आरजे–15 आरए–4222 मय ट्राली, 01 डम्फर ट्रक (अशोक लीलेन्ड) सं. 49–13ई–72062–141 को राजसात करने** की प्रार्थना की है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

माननीय सैशन न्यायालय, श्रीगंगानगर से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में पुनः कार्यवाही आरम्भ की गई और दिनांक 02.03.2022 को जब्तशुदा ट्रॉली मय ट्रैक्टर नं. 15 आरए – 4222 के स्वामी **तारबाबू सिंह पुत्र गुरदेव सिंह ने पक्षकार बनाये जाने की प्रार्थना करने पर उसे दिनांक 21.03.2022 को प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 5 के रूप में पक्षकार**

जिला कलेक्टर

बनाया गया और उसके द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 11.04.2022 में उक्त वाहन संख्या ट्रॉली मय ट्रैक्टर नं. 15 आरए — 4222 को सुपुर्दगी पर छोड़े जाने की प्रार्थना की। चूंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम एक विशिष्ट अधिनियम है और इसके अन्तर्गत धारा 6ई के प्रावधानों के तहत किसी वाहन या वस्तु को सुपुर्दगी पर दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः सुपुर्दगी सम्बन्धी प्रार्थना खारिज की जाती है।

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री राजवीर सिंह ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ग्रीफ ऑफिस फाजिल्का, पंजाब के केजुअल पेड ड्राईवर एवं सह ड्राईवर के पद पर अशोक लीलेण्ड ट्रक नं 49 13 ई 72062 141 पर संविदा पर नियुक्त अस्थाई कर्मचारी है और अस्थाई कर्मचारियों को उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुसार ही कार्य करना था।

उनका आगे कथन था कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों के अनुसरण में दिनांक 18.08.2021 को साधुवाली कैंट से संतोष भारद्वाज आई/सीई 4 जेई (ई एण्ड एम) युनिट 141 डीएमसी ग्रीफ से डीजल प्राप्त कर आगे फाजिल्का पंजाब यूनिट 854 डी एम पी एल (ग्रीफ) को देने की रसीद कटवाकर उपरोक्त वाहन पर भरवाकर लाये थे।

उनका आगे कथन था कि समय अधिक हो जाने के कारण उस रोज उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार राजकीय चिकित्सालय श्रीगंगानगर के पास पत्रकार कॉलोनी में उपरोक्त वाहन खडा किया, जिस पर पुलिस द्वारा उन से पूछताथ की तो उपरोक्त सभी तथ्य बताते हुए आवश्यक कागजात व दस्तावेजात जो उनके पास उच्च अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाये हुए मौजूद थे, पुलिस को सौंपा दिये।

उनका आगे कथन था कि पु[illegible] मिलीभगत कर गलत तौर से उन्हें फसाने की नियत से गलत बरामदगी दर्शायी गई है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से कोई 10,000/— रूपये बरामद नहीं हुए और ना ही अप्रार्थी संख्या 1 से कोई 1,40,000/— रूपये बरामद हुए है और ना ही उनके द्वारा किसी प्रकार से किसी डीजल को अवैध रूप से विक्रय/परिवहन/भण्डारण किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे कथन था कि उनके द्वारा उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार साधुवाली कैंट से अशोक लीलेण्ड वाहन से लाया गया व उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार ही समय अभाव के कारण उस रोज गंतव्य स्थान फाजिल्का में पहुंचना संभव नहीं था, इसी कारण उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार पत्रकार कॉलोनी में खड़ा किया गया, इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार से कोई दोष नहीं रहा इसके उनके खिलाफ किसी प्रकार से धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का कोई मामला नहीं बनता है। इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही समाप्त की जावे।

अप्रार्थी संख्या 3–मुरलीधर व 4–हरदीप के विद्वान अधिवक्ता श्री राकेश मिढ़ा ने अपनी बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 3 मुरलीधर की आटा चक्की की दुकान जैतसर पुलिया, पदमपुर पर थी। मुरलीधर की दुकान के पास ही ग्रीफ का दफ्तर था, जहां पर इन्द्रजीत व जितेन्द्र की जानकारी मुरलीधर के साथ हुई और आना जाना हुआ।

उनका आगे कथन था कि 6 माह पूर्व ग्रीफ का कार्यालय पदमपुर जैतसर पुलिया से केसरीसिंहपरु ट्रांसफर हो गया और मुरलीधर व हरदीप सिंह श्रीगंगानगर आए हुए थ तब इन्द्रजीत व जितेन्द्र का फोन मुरलीधर को आया और मिलने के लिए बुलाया गया ।

उनका आगे कथन था कि प्रार्थीगण द्वारा साधुवाली से दो ड्रम डीजल क्रय किया गया था न कि उक्त डीजल का अवैध खरीद किया जा रहा था और इस प्रकार उक्त डीजल प्रार्थीगण का नहीं था और ना ही प्रार्थीगण द्वारा अवैध रूप से उक्त डीजल खरीद का कोई राशि दी गई थी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी संख्या 3 मुरलीधर व 4 हरदीप किसान है और सरकार द्वारा किसानों को 250 लीटर डीजल रखने की अनुमति है और प्रार्थी हरदीप सिंह के कृषि यंत्र व खाद व बीज क्रय करने के लिए 1,50,000/– रूपये की राशि लेकर आया था प्रार्थी के पास मौका से डीजल व पैसे ट्रैक्टर व ट्रॉली से प्राप्त किए गए थे।

जिला कलेक्टर

उनका आगे कथन था कि पुलिस द्वारा मौका पर न तो डीएसओ साहब को बुलाया गया और न ही ग्रीफ के अधिकारियों को बुलाया गया व अवैध रूप से फर्जी व झूठी कार्यवाही कर उन्हें प्रकरण में फंसा दिया गया और ना ही पुलिस द्वारा मौका पर कोई स्वतंत्र गवाह बनाये गये है।

अप्रार्थी संख्या 5–ताराबाबू सिंह के अधिवक्ता श्री राकेश मिढा ने कथन किया कि प्रार्थी का ट्रैक्टर आर जे 15 आरए 4222 मय ट्रॉली जब्त किया गया है , प्रार्थी का उक्त प्रकरण से कोई सारोकार नहीं है व न ही प्रार्थी उक्त प्रकरण के किसी भी कृत्य में संलिप्त था और उसे ट्रैक्टर मय ट्रॉली अपने कृषि कार्य हेतु हर समय आवश्यकता रहती है। इसलिए उसे उसका ट्रेक्टर मय ट्रॉली सुपुर्दगी पर दिया जावे।

यूनियन ऑफ इण्डिया जरिये कमान अधिकारी 141 डी.एम.सी. (ग्रेफ) पिन 930141 द्वारा ए.पी.ओ. एवं कमान अधिकारी 141 डी.एम.सी. (ग्रेफ) पिन 930141 द्वारा 56 ए.पी.ओ के विद्वान अतिरिक्त राजकीय स्थायी अधिवक्ता श्री गौरी शकर गुप्ता ने कथन किया था कि उनके द्वारा प्रार्थना पत्र दिनांक 24.04.2021 से ग्रेफ के वाहन संख्या बी.ए./13/ई/72062 टिप्पर अशोक लीलैण्ड को रिलिज करने के निवेदन करने पर माननीय न्यायालय ने ग्रेफ के वाहन को रिलिज करने से इंकार कर दिया। जिसके विरूद्ध माननीय जिला एवं सैशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर के समक्ष धारा 6सी आवश्यक वस्तु अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अपील संख्या 41/2021 की प्रस्तुत की गई। जिसमें माननीय जिला एवै सैशन न्यायधीश, श्रीगंगानगर ने ग्रेफ की अपील दिनांक 21.10.2021 को खारिज करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित ई.सी. [illegible] के प्रकरण को एक माह में निस्तारण करने के निर्देश दिये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

उनका आगे कथन था कि प्रकरण [illegible] समस्त अभियुक्तों की जमानत हो चुकी है और कमान अधिकारी 141 डी.एम.सी. (ग्रेफ) पिन–930141 द्वारा 56 ए.पी.ओ. निर्देश पर दिनांक 18.08.2021 को **केजुअल पेड ड्राईवर इन्द्रजीत एवं सह ड्राईवर जितेन्द्र कुमार द्वारा वाहन**

जिला कलेक्टर

संख्या बी.ए.13/ई/72062 की लघु ईकाई 854 डी.एम.पी.एल. फाजिल्का ले जाया जा रहा था मगर चारों अभियुक्तों ने साजबाज करके राष्ट्रीय सम्पत्ति को अवैध रूप से बेचने का षडयंत्र रचा।

उनका आगे कथन था कि यूनियन ऑफ इण्डिया का वाहन जब्त रहने से राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है एवं सार्वजनिक हित का कुटाराघात हो रहा है। यूनियन ऑफ इण्डिया का वाहन लम्बे समय तक जब्त रहने से राजकीय सम्पत्ति का क्षरण हो रहा है।

उनका आगे कथन था कि उपरोक्त वर्णित मामले में विभाग का कोई दोष नहीं होने के कारण वाहन को न्यायहित में रिलिज किया जाना न्यायसंगत एवं कानून सम्मत है।

उनका आगे कथन था कि ग्रेफ विभाग द्वारा अस्थाई (केजुयल) श्रमिकों को सेवा से हटा दिया गया है एवं स्थायी कर्मचारियों को निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध सेवानियमों के अन्तर्गत विभागीय जांच की जा रही है। इसलिए उन्होनें सार्वजनिक हित में ग्रेफ के वाहन संख्या बी.ए.13/ई/72062 टिप्पर अशोक लीलेण्ड को सार्वजनिक एवं न्यायहित में रिलिज करने की प्रार्थना की।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि का कथन था कि मौके पर अप्रार्थी ने कोई भी तथ्य किसान होने या अन्य किसान का डीजल परिवहन करने संबंधी पेश नहीं किया गया और मौके पर अप्रार्थीगण द्वारा डीजल साधुवाली केन्ट से संतोष भारद्वाज आई/सी ई–4, जईई/(ई एण्ड एम) यूनिट 141 डीएमसी (ग्रीफ) से प्राप्त कर आगे फाजिल्का पंजब यूनिट 854 डीएमपीएल (ग्रीफ) को देने की रसीद कटवाकर लाये है किन्तु फाजिल्का पंजाब (ग्रीफ) के अधिकारी लिंगा राजू व विनोद के कुमार के कहे अनुसार डीजल की अवैध तौ[illegible] 1,30,000/–ग्रीफ के दोनों अधिकारियों को देने थे। अप्रार्थी यूनियन ऑफ इण्डिया जरिये कमान अधिकारी 141 डी.एम.सी. (ग्रेफ) पिन–930141 द्वारा ए.पी.ओ. एवं कमान अधिकारी 141 डी.एम.सी. (ग्रेफ) पिन 930141 द्वारा 56 ए.पी.ओ. प्रकरण में पक्षकार नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि मौके पर अधिकारियों के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया। यदि मौके पर उनकी ओर से बिल और कृषि संबंधी दस्तावेज पेश किया गये होते तो उसके फर्द मौके के साथ संलग्न करके उसका विवरण फर्द मौका में अंकित किया गया होता। इससे भी स्पष्ट है कि प्रार्थी अपनी बहस में गलत तथ्य प्रस्तुत किये गये है।

उनका आगे यह भी कथन था कि जब्तशुदा वाहन को राजसात करने की एवज में वाहन जब्ती दिनांक का बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाये जाने का प्रावधान है।

उनका आगे कथन था कि इन्द्रजीत पुत्र सुभाष चन्द्र, जितेन्द्र कुमार पुत्र सांवरमल, मुरलीधर पुत्र भगवानदास एवं हरदीप सिह पुत्र गुरदेव सिंह और तारबाबू सिंह पुत्र गुरदेव सिंह द्वारा यथा पैट्रोल व डीजल का अवैध खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण कर **आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा 2. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।** इसलिए उक्त जब्तशुदा **2000 लीटर डीजल से भरे 10 प्लास्टिक ड्रम व 20 लीटर पेट्रोलनुमा तरल पदार्थ भरा 01 प्लास्टिक का जरीकन व 1,50,000/- रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये)** [illegible] **(जोनडियर) सं. आरजे-15 आरए-4222 म**[illegible] **लीलेन्ड) सं. 49-13ई-72062-141 को** [illegible]**र,** वाहन राजसात की एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत मौखिक तर्कों एवं लिखित जवाब पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसक साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया

तो पाया कि दिनांक 18.0 8.2021 को वक्त 6:40 पीएम पर मुखबिर की सूचना पर अरविन्द कुमार, पुलिस उप अधीक्षक, जंगशेर खां हैड कानि 61 मय डीआर प्रकाश सिंह व गनमेन राममूर्ति कानि, 610 तस्दीक हेतु रवाना हुये व श्री हनुमाना राम पु.नि. थानधिकारी, पुलिस थाना सदर श्रीगंगानगर को मय जाब्ता भागसिंह हैड कानि 2395, कैलाश कानि, 1845 भरतलाल कानि, 1013 व मोबाईल जाब्ता के रामजीलाल सउनि, झाबरमल हैडकानि 2025, गुलाबा कानि 1521 मय डीआर लक्ष्मण 1505 को साथ लिया गया। मौके पर रवाना वक्त 7:30 पीएम पर पत्रकार कॉलोनी में नोहरा मुरलीधर पर पहुंचे। नोहरा मुरलीधर के मैन गेट पर अशोक लीलेण्ड का ट्रक डम्फर बरंग नीला खडा मिला जिसके आगे नम्बर 49 13ई 72062 141 अंकित थे। नोहरा में अन्दर प्रवेश कर देखा तो चार शख्स जिसमें से दो शख्स डम्पर से ड्रम उतारकर उसके पीछे खड़े ट्रेक्टर ट्राली में डाल रहे है व दो शख्स ट्राली में ड्रम उतरवा रहे है। उक्त चार व्यक्ति इन्द्रजीत सिंह पुत्र सुभाष चन्द्र, जितेन्द्र कुमार पुत्र सांवरमल, मुरलीधर पुत्र भगवानदास एवं हरदीप सिंह पुत्र गुरदेव सिंह होना बताया। मौके पर डम्फर को चैक किया तो उसमें **8 ड्रम प्लास्टिक(7 नीले व एक काले रंग का) देखने में इनकी क्षमता करीब 200 लीटर थी तथा 01 जरीकन करीब 30 लीटर क्षमता का रखा हुआ था। ट्राली में 2 ड्रम प्लास्टिक नीले रंग के करीब 200 लीटर क्षमता के पड़े थे।** उक्त व्यक्तियों से इन ड्रमों में क्या है बाबत पूछा तो सभी ने उक्त ड्रमों में डीजल होना बताया। इस पर आरपीएएस व हमराही जाब्ता द्वारा उक्त सभी 10 ड्रमों के ढक्कन को खोलकर इनमें भरे तरल पदार्थ को [illegible] डीजल होना बताया। इस पर चारों व्यक्तियों से [illegible] इन्द्रजीत व जितेन्द्र कुमार ने बताया कि उक्त [illegible] केन्ट से संतोष भारद्वाज आई/सी ई–4, जेई/(ई एण्ड एम) युनिट 141 डीएमसी (ग्रीफ) से प्राप्त कर आगे फाजिल्का पंजाब यूनिट 854 डीएमपीएल (ग्रीफ) को **देने की रसीद कटवाकर लाये है** जो डीजल हमें फाजिल्का पंजाब भिजवाना था किन्तु फाजिल्का पंजाब (ग्रीफ) के अधिकारी लिंगा राजू मो.नं

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

9538594811 व विनोद कुमार मो.नं. 8445224222 के अनुसार इस डीजल को अवैध तौर पर बेच कर 1,30,000/— रूपये ग्रीफ के दोनों अधिकारियों **लिंगा राजू व विनोद कुमार** को देने थे। इस पर दोनों डम्फर लेकर गंगानगर में चोरी का डीजल 75 रूपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 150000 रूपये नगद प्राप्त कर लिये और अब ये 10 ड्रम डीजल के भरे हुए **हरदीप सिंह व मुरलीधर को सुपुर्द कर रहे थे। 1,50,000/— रूपये में से 10 हजार रूपये मैने (इन्द्रजीत ने) अपने कमीशन के रख लिये तथा 10 हजार रूपये जितेन्द्र कुमार ने रख लिये और 1,30,000/— रूपये जो लिंगाराजू व विनोद कुमार को देने थे वो जितेन्द्र कुमार ने अलग से रख लिये।** मुताबिक खाना तलाशी व बरामदी उक्त शख्सान से इतनी भारी मात्रा में डीजल रखने/परिवहन/बेचान करने बाबत लाईसेंस /परमिट या अन्य दस्तावेज बाबत पूछा तो इन्द्रजीत ने दो प्रतियों में जारी कम्प्युटराईज रसीद (कनवे नोट) जो 141 डीएमसी ग्रीफ सी/ओ 56 एपीओ द्वारा जारी है जो कि 854एएमपीएल (ग्रीफ) फाजिल्का के नाम से दिनांक 18.08.2021 की जारीशुदा है रसीद क्रमांक 25 अंकित है रसीद में दो आर्टिकल जिनमें से नम्बर 1 आईटम एचएसडी क्वांटिटी 2000 लीटरस तथा नम्बर 2 आईटम एमएस—87 क्वांटिटी 20 लीटरस अंकित है इस्युड बाई संतोष भारद्वाज युनिट 141 डीएमसी ग्रीफ, क्लेक्टड बाई इन्द्रजीत सिंह युनिट 854 डीएमपीएल (ग्रीफ) तथा रिसीवड बाई में यूनिट 854 डीएमपीएल (ग्रीफ) अंकित है इस्युड व कलेक्टड पर हस्ताक्षर किये हुए है परन्तु रिसीवड बाई पर नाम व हस्ताक्षर अंकित नहीं है उक्त रसीद दो प्रतियों में को बतौर दस्तावेजी साक्ष्य कब्जा [illegible] लिया। उक्त समस्त जब्तशुदा सामग्री 2000 लीटर अवैध डीजल [illegible] प्लास्टिक ड्रम व 20 लीटर पेट्रोलनुमा तरल पदार्थ भरा 01 प्लास्टिक का जरीकन व 1,50,000/— रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये) नगद बिक्री राशि, ,01 ट्रेक्टर (जोनडियर) सं. आरजे—15 आरए—4222 मय ट्राली, 01 डम्फर ट्रक (अशोक लीलेन्ड) सं. 49—13इ—72062—141 व अन्य समस्त सामग्री को मालखाना पुलिस थाना(सदर), श्रीगंगानगर की सुपुर्दगी में दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

है। पुलिस थाना (सदर), श्रीगंगानगर के पत्रांक 5515 दिनांक 21.08.2021 के अनुसार प्रकरण में इन्द्रजीत पुत्र सुभाष चन्द्र, जितेन्द्र कुमार पुत्र सांवरमल, मुरलीधर पुत्र भगवानदास एवं हरदीप सिह पुत्र गुरदेव सिंह के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 व भादस की धारा 406,407,120 बी के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट 274/18.08.2021 दर्ज की गई है।

इस प्रकार इन्द्रजीत पुत्र सुभाष चन्द्र, जितेन्द्र कुमार पुत्र सांवरमल, मुरलीधर पुत्र भगवानदास एवं हरदीप सिह पुत्र गुरदेव सिंह द्वारा यथा पैट्रोल व डीजल का अवैध खरीद, बेचान, परिवहन व संग्रहण कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा 2. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए उक्त जब्तशुदा 2000 लीटर डीजल से भरे 10 प्लास्टिक ड्रम व 20 लीटर पेट्रोलनुमा तरल पदार्थ भरा 01 प्लास्टिक का जरीकन व 1,50,000/— रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये) नकद बिक्री राशि, 01 ट्रेक्टर (जोनडियर) सं. आरजे—15 आरए—4222 मय ट्राली, 01 डम्फर ट्रक (अशोक लीलेन्ड) सं. 49—13ई—72062 —141 को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थीगण पर ही था कि उसके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:—

> "जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि एफआईआर संख्या 0274 दिनांक 18.08.2021 पुलिस थाना, सदर, श्रीगगानगर में अप्रार्थी संख्या 1—इन्द्रजीत सिंह, 2—जितेन्द्र कुमार, 3—मुरलीधर 4—हरदीप सिह के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं 406,407,120 वी भादस में दर्ज की गई है एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए के अन्तर्गत जब्तशुदा 2000 लीटर डीजल व 20 लीटर पेट्रोलनुमा तरल पदार्थ एवं 1,50,000/— रूपये राजसात करने की प्रार्थना की गई है। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि **अप्रार्थी संख्या 3— मुरलीधर के नोहरे में 2000 लीटर डीजल एवं 20 लीटर पेट्रोलनुमा तरल पदार्थ जब्त किया गया है** जिसके बारे में अप्रार्थी संख्या 1—इन्द्रजीत—ड्राईवर व 2—जितेन्द्र कुमार—सह ड्राईवर, ग्रेफ विभाग के संविदा कर्मचारी ने पैरा संख्या 2 में निम्न प्रकार से अपने जवाब में अंकन किया है :

> हम अप्रार्थीयान संख्या 1 व 2 ''लीलेण्ड ट्रक नं. 49 13 ई 72062 141 पर नियुक्त किये हुए थे और उन्हें अपने उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार ही करना था, अतः उच्च अधिकारियों के निर्देशों के अनुसार ही व उन्हीं के अनुसरण में दिनांक 18.08.2021 को साधुवाली कैंट से संतोष भारद्वाज आई/सी ई—4 जेई/(ई एण्ड एम) युनिट 141 डीएमसी ग्रिफ से डीजल प्राप्त कर आगे फाजिल्का पंजाब यूनिट 854 डी एम पी एल (ग्रीफ) को देने की रसीद कटवाकर उपरोक्त वाहन पर भरवाकर लाये थे, समय अभाव के कारण अर्थात समय अधिक हो जाने के कारण उस रोज उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार राजकीय चिकित्सालय, श्रीगंगानगर के पास पत्रकार कॉलोनी में उपरोक्त वाहन खड़ा किया, जिस पर पुलिस द्वारा हम अप्रार्थीयान से पूछताछ की तो उपरोक्त सभी तथ्य बताते हुए आवश्यक कागजात व दस्तावेजात जो हमारे पास उच्च अधिकारियों द्वारा उपलब्ध करवाये हुए थे वे सभी पुलिस को दिखा दिये गये। पुलिस ने मिलीभगत कर गलत तौर से हमे फसाने की नियत से गलत बरामदगी दर्शायी गई है जबकि अप्रार्थी संख्या 1 से कोई 10000 रूपये बरामद नही हुए तथा ना ही अप्रार्थी संख्या 2 से कोई 140000 रूप्ये बरामद हुए ना ही हमारे द्वारा किसी प्रकार से किसी डीजल को अवैध रूप से विक्रय किया ना ही परिवहन किया तथा ना ही भण्डारण किया गया।''

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि यूनियन ऑफ इण्डिया जरिये कमान अधिकारी 141 डी.एम.सी. (ग्रेफ) पिन–930141 द्वारा ए.पी.ओ. एवं कमान अधिकारी 141 डी.एम.सी. (ग्रेफ) पिन 930141 द्वारा 56 ए.पी.ओ. के प्रतिवेदन के बिन्दु संख्या ख, ग, घ व छ में निम्न प्रकार से अंकन किया गया है:

(ख) यह कि कमान अधिकारी 141 डी.एम.सी. (ग्रेफ) पिन 930141 द्वारा 56 ए.पी.ओ. निर्देश पर दिनांक 18.08.2021 को केजुअल पेड ड्राईवर इन्द्रजीत एवं सह ड्राईवर जितेन्द्रकुमार द्वारा वाहन संख्या बी.ए. 13/ई/72062 की लघु ईकाई 854 डी.एम.पी.एल. फाजिल्का ले जाया जा रहा था। मगर चारों अभियुक्तों ने साजबाज करके राष्ट्रीय सम्पत्ति को अवैध रूप से बेचने का षडयंत्र रचा।

(ग) यह कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति को अभियुक्तगत ने राजकीय सम्पत्ति को क्षति पहुंचाने के मकसद से अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया।

(घ) यह कि यूनियन ऑफ इण्डिया के वाहन जब्त रहने से राजकीय कार्य में बाधा उत्पन्न हो रही है एवं सार्वजनिक हित पर कुठाराघात हो रहा हैं

(छ) यह कि ग्रेफ विभाग [illegible] अस्थायी (केजुअल) श्रमिकों को सेवा से [illegible] है एवं स्थायी कर्मचारियों को निलम्बित क[illegible] हुये उनके विरूद्ध सेवानियमों के अन्तर्गत विभागीय जांच की जा रही है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

ग्रेफ द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 30.03.2022 के अवलोकन से तथा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के जवाब से ये स्पष्ट होता है कि अप्रार्थी संख्या 1 इन्द्रजीत व 2 जितेन्द्र कुमार ग्रेफ विभाग में अस्थाई ड्राईवर व सह ड्राईवर है जिनकों विभागीय निर्देशानुसार साधुवाली कैंट से लघु ईकाई 854 डी.एम.पी.एल. फाजिल्का डीजल लेकर जाना था किन्तु चारों अभियुक्तों ने साजबाज करके राष्ट्रीय सम्पत्ति को अवैध रूप से बेचने का षडयंत्र किया है इसलिए ग्रेफ विभाग द्वारा अस्थाई ड्राईवर एवं सहड्राईवर अप्रार्थी संख्या 1 इन्द्रजीत व 2–जितेन्द्र कुमार को सेवा से हटा दिया गया है एवं स्थायी कर्मचारियों को निलम्बित करते हुए उनके विरूद्ध सेवा नियमों के अन्तर्गत विभागीय जांचकी जा रही है। पुलिस द्वारा 6ए के प्रकरण में जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके आधार पर मौके पर सरकारी वाहन संख्या बी.ए.13/ई/72062 अशोक लिलेण्ड से प्राईवेट वाहन ट्रेक्टर संख्या आरजे–15/आरए–4222 में 2000 डीजल व 20 पैट्रोलनुमा पदार्थ लादते हुए मय विक्रय राशि मय 1,50,000/– पकड़े गये है। वाहन संख्या आरजे–15/आरए–4222 का स्वामी अप्रार्थी संख्या 5 ताराबाबू सिंह है और अप्रार्थी संख्या 4 हरदीप सिंह उसका भाई है जो उक्त ट्रेक्टर संख्या आरजे–15/आरए–4222 मय ट्राली में उक्त सरकारी 2000 लीटर डीजल व 20 लीटर पेट्रोलनुमा तरल पदार्थ अपने वाहन में लादान करते हुए अप्रार्थी संख्या 3– मुरलीधर के नोहरे से मय राशि 1,50,000/– रूपये मय सरकारी वाहन संख्या बी.ए.13/ई/72062 व ट्रेक्टर ट्राली के अप्रार्थी संख्या 1 से 4 पकडे गये है। जो उक्त डीजल व पेट्रोलनुमा तरल पदार्थ के साथ राशि 1,50,000/– रूपये जब्त किये गये है उसमें अप्रार्थीगण 1 व 2 द्वारा इस्तगासा के अनुसार 1,30,000 रूपये लिंगाराजू व विनोद कुमार के तथा 10–10 हजार रूपये स्वयं के कमीशन के होना बताया था। ग्रेफ के द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 30.03.2022 के बिन्दु संख्या 6(छ) में में अंकित किया गया है अस्थाई श्रमिकों को सेवा से हटा दिया गया है एवं स्थायी कर्मचारियों निलम्बित करते

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर

हुए विभागीय जांच की जा रही है। ग्रेफ विभाग के पैरा संख्या 6(ख) के अनुसार अप्रार्थी संख्या –1 इन्द्रजीत ड्राईवर एवं अप्रार्थी संख्या 2–जितेन्द्र कुमार सहड्राईवर थे जिनकों उक्त अवैध कार्य करने के लिए हटा दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि 6ए के प्रकरण में अंकित लिंगाराजू व विनोद कुमार स्थाई कर्मचारी है,जिनके विरूद्ध उक्त अवैध कृत्यों के सम्बन्ध में विभागीय जांच की जा रही है, किन्तु इनका नाम प्रतिवेदन में छिपाया गया है। **विभागीय निर्देशानुसार कितना डीजल साधुवाली** से उक्त वाहन से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 लेकर जाना था, इसकी मात्रा ग्रेफ ने अपने जवाब में स्पष्ट नहीं की है। जब्तशुदा सरकारी वाहन संख्या बी.ए.13/ई/72062 किस अधिकारी के नियन्त्रण में था और क्या उक्त अधिकारी की सहमति से उक्त वाहन का उपयोग डीजल लाने में किया गया है इसे भी स्पष्ट नहीं किया गया है और न **ही सम्बन्धित विभागीय अधिकारी जिसके नियन्त्रण में उक्त वाहन रहता है का भी कोई विवरण नहीं दिया गया है और ना ही सम्बन्धित अधिकारी को पक्षकार बनाया गया** है। जबकि हस्तगत प्रकरण में 2000 लीटर सरकारी डीजल और 20 लीटर सरकारी पेट्रोलनुमा तरल पदार्थ अवैध रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा सरकारी वाहन संख्या बी.ए. 13/ई/ 72062 अप्रार्थी संख्या 3 के नोहरे में अप्रार्थी संख्या 4 के वाहन संख्या आरजे–15 आरए–4222 मय ट्राली में लादते हुए मय विक्रय राशि 1,50,000/– रूपये के पकडे गये है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा 2000 लीटर सरकारी डीजल व 20 लीटर सरकारी पैट्रोलनुमा तरल पदार्थ को [illegible] करते हुए पकड़ा गया है। जिस कारण उक्त वाहन संख्या आरजे–15 आरए–4222 मय ट्राली मय राशि 1,50,000/–सरकारी वाहन संख्या बी.ए.13/ई/ 72062, मय सरकारी डीजल व पेट्रोल जब्त किया गया है। उक्त जब्तशुदा सरकारी 2000 लीटर डीजल व 20 लीटर पैट्रोलनुमा तरल पदार्थ को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो की ग्रेफ के प्रतिवेदन के अनुसार अस्थाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

कर्मचारी है, को अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। कोई भी व्यक्ति 2500 लीटर तक डीजल क्रय करना चाहता है तो उसे किसी भी सरकारी विक्रय केन्द्र से अर्थात किसी मान्यता प्राप्त पेट्रोल पम्प जो डीजल/पेट्रोल विक्रय करने हेतु अधिकृत हो, उससे ही क्रय कर सकता है। किन्तु डीजल/पेट्रोल जो एक आवश्यक वस्तु है, को किसी भी सरकारी कर्मचारी/अधिकारी को किसी अन्य प्राईवेट व्यक्तियों को विक्रय करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है और न ही कोई किसी प्रकार से इस अवैध कार्य के लिए अनुमति दे सकता है। इस प्रकार अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो सरकारी कर्मचारी है के द्वारा सरकारी वाहन संख्या **01 डम्फर ट्रक (अशोक लीलेन्ड) सं. 49–13ई–72062–141 से 2000 लीटर डीजल व 20 लीटर पेट्रोल क्रय करके फिरोजपुर ले जाना था को** अप्रार्थी संख्या 3 व 4 को जिनके पास किसी प्रकार से उक्त सरकारी डीजल को क्रय करने/वाहन संख्या आरजे–15/आरए–4222 में परिवहन करने/कब्जे में रखने का कोई कानूनी वैध अधिकार नहीं है। इसलिए अप्रार्थी संख्या 3 व 4 द्वारा किये गये कथन उनके द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी नियम की उल्लंघना नहीं की गई है, सही नही है। **अतः अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा 2. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट की स्पष्ट उल्लंघना है।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत **जारी 1. मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा 2. पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) के**

कारण उक्त जब्तशुदा 2000 लीटर डीजल से भरे 10 प्लास्टिक ड्रम व 20 लीटर पेट्रोलनुमा तरल पदार्थ भरा 01 प्लास्टिक का जरीकन व 1,50,000/- रूपये (एक लाख पचास हजार रूपये) नकद बिक्री राशि, 01 ट्रेक्टर (जोनडियर) सं. आरजे-15 आरए-4222 मय ट्राली, 01 डम्फर ट्रक (अशोक लीलेन्ड) सं. 49-13ई-72062-141 भी राजसात किये जाते है।

चूंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 एक विशिष्ट अधिनियम है और किसी भी प्रचलित विधि के प्रावधान उक्त अधिनियम के प्रावधानों पर प्रभावी नहीं हो सकते। अतः उक्त जब्तशुदा वाहन 01 ट्रेक्टर (जोनडियर) सं. आरजे-15 आरए-4222 मय ट्राली, 01 डम्फर ट्रक (अशोक लीलेन्ड) सं. 49-13ई-72062-141 डीजल व पैट्रोल के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। चूंकि उक्त राजसात किये गये सरकारी वाहन डम्फर ट्रक (अशोक लीलेण्ड) 49-13ई-72062-141 का अनुमानित बाजार मूल्य 7.50 लाख से 8.00 लाख रूपये एवं ट्रैक्टर मय ट्रॉली आरजे-15/आरए-4222 का अनुमानित बाजार मूल्य 3.00 से 3.50 लाख रूपये है। इसलिए सरकारी वाहन डम्फर ट्रक (अशोक लीलेण्ड) 49-13ई-72062-141 पर 6.00 लाख एवं वाहन ट्रैक्टर मय ट्रॉली आरजे-15/आरए-4222 पर 2.50 लाख रूपये जुर्माना अरोपित किया जाता है और [illegible] स्वामी उक्त जुर्माना राशि अदा कर देवें तो जिला [illegible] वाहन को नियमानुसार सम्बन्धित वाहन स्वामी को सुपुर्द कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि पूर्व में आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 2000 लीटर डीजल एवं 20 लीटर पेट्रोलनुमा तर पदार्थ के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे अब उक्त राजसात किये गये 2000 लीटर डीजल एवं 20 लीटर पेट्रोलनुमा तर पदार्थ की विक्रय राशि एवं अन्य उपकरणों को विक्रय कर राशि एवं जब्तशुदा 1,50,000/— को भी स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को आदेश दिये जाते है।

चूंकि उक्त प्रकरण में 2000 लीटर डीजल उक्त वाहन डम्फर ट्रक (अशोक लीलेण्ड) 49—13ई—72062—141 एवं वाहन ट्रैक्टर मय ट्रॉली आरजे—15/आरए—4222 राजसात करने के आदेश दिये गये है। माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन पर क्रमशः 6.00 लाख रूपये एवं 2.50 लाख रूपये जुर्माना आरोपित किया गया है जो जुर्माना अदा करने पर ही वाहन रिलीज करने के आदेश दिये गये है। इस आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.04.20222 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.01 13:20:17 IST
Reason: SelfAttested